

# कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर (छ.ग.)

## // विविध आदेश //

क्रमांक-क / एक-15-3 / 2013,

सूरजपुर, दिनांक 22 सितम्बर, 2023

मैं, गोविन्द नारायण जांगड़े, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर (छ.ग.) पूर्व में जारी किये गये कार्य विभाजन आदेश को निरस्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 10 (2) (3) और 194 एवं छ.ग. सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविल जिला सूरजपुर एवं सत्र खण्ड, सूरजपुर में पदस्थ न्यायाधीशों के मध्य निम्नानुसार नवीन कार्य-विभाजन करता हूँ जो जारी दिनांक से प्रभावशील माना जाएगा :—

क्र.	न्यायालय का नाम	भौगोलिक क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार, जिनका निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) सूरजपुर और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुर।	सम्पूर्ण सत्र खण्ड एवं सिविल जिला सूरजपुर।	<p>1. सत्र प्रकरण।</p> <p>2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत प्रस्तुत विशेष सत्र एवं आपराधिक प्रकरण (एट्रोसिटीज) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के दर्ज प्रकरण. (POCSO Act से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>3. मुख्यालय में प्रस्तुत होने वाले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 एवं 439 से संबंधित जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>4. Drugs &amp; Cosmetics Act, 1940 के अन्तर्गत adulterated drugs &amp; spurious drugs से संबंधित अपराधों का विचारण।</p> <p>5. Chhattisgarh Protection of depositors Interest Act, 2005 के अन्तर्गत अपराधों का विचारण।</p> <p>6. समरत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी, सूरजपुर के न्यायालय से उत्पन्न उत्पन्न आपराधिक अपीलें एवं अपराधिक पुनरीक्षण।</p> <p>7. न्यायाधीश, परिवार न्यायालय की अनुपस्थिति में अति आवश्यक कार्य का संपादन।</p>
		तहसील सूरजपुर, भैयाथान, ओड़गी, प्रेमनगर, रामानुजनगर, लटोरी, बिहारपुर	<p>1. रथानीय एवं विशेष अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत सिविल एवं विविध अपीलें व निर्वाचन याचिकायें।</p> <p>2. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधि. 1961 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले चुनाव याचिकाएं।</p> <p>3. नगर पालिक निगम के अन्तर्गत आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सिविल अपीलें।</p> <p>4. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।</p> <p>5. मानवाधिकारों के उल्लंघन से उद्भूत होने वाले प्रकरण।</p> <p>6. भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 18 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा किये गये रिफरेन्स।</p> <p>7. लोक परिसर (वेदखली) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>8. धारा 9 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विचारणीय ऐसे वाद, याचिका तथा आवेदन पत्र जो इस आदेश में किसी अन्य न्यायालय को आवंटित नहीं हैं।</p> <p>9. अन्य अधिनियम के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय विवाद जो इस आदेश में अन्य न्यायालय को आवंटित नहीं किये गये हैं।</p> <p>10. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर प्रेषित एवं अंतरित प्रकरण।</p> <p>11. सूरजपुर जिले के अन्तर्गत समरत थानों से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावा आवेदन धारा 163 (ए), 166 एवं 140 मो0ही0एकट.1988 (संशोधित अधिनियम 1994) के अन्तर्गत (प्रतापपुर न्यायालय के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों को छोड़कर) इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे।</p> <p>12. रु0 40,000,01/- (चालीस लाख एक रुपये) से मूल्य के सिविल वाद एवं आवेदन पत्र एवं उनसे उत्पन्न निष्पादित एवं विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>13. समरत व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सूरजपुर के न्यायालय से उत्पन्न सिविल प्रकरण में घोषित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें तथा विविध अपील, उत्तराधिकार अधिनियम की अपीलें।</p> <p>14. Specific Relief Act, 1963 (Amendment) Act, 2018</p>

			HJS Level के अंतर्गत प्रकरण (प्रतापपुर न्यायालय के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों को छोड़कर) इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। 15. जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा सुनवाई न किये जाने की स्थिति ने सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 के प्रावधानानुसार (101 अपीलें के अंतर्गत) प्रस्तुत अपील की सुनवाई की जावेगी।
2	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) /विशेष न्यायाधीश [एन.डी.पी.एस.एकट] /विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), सूरजपुर एवं प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुर।	सत्र खण्ड सूरजपुर।	1. एन.डी.पी.एस. एकट, 1985 के तहत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु विधि विभाग एवं विधायी विभाग नवा रायपुर के अधिसूचना क्रमांक-एफ.नं.-11102/21-बी/सी.जी./2023, नवा रायपुर, दिनांक 15.09.2023 के द्वारा अधिसूचित किया गया। 2. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण की सुनवाई हेतु विधि विभाग एवं विधायी विभाग रायपुर के अधिसूचना क्रमांक-5119/1931/21-बी/सी.जी./2013, दिनांक-22.06.2013 के द्वारा अधिसूचित किया गया। 3. सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन पत्र एवं सिविल अपील, विधिसिविल अपीलें। 4. द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) सूरजपुर के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन, विधिप्रकरण, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य आवेदन जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाता रहा हो। 5. द्वितीय/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लंबित/निराकृत प्रकरणों अथवा उनसे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही को सम्पादित किया जाएगा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग., विलासपुर से वापस प्राप्त होने वाले प्रकरणों में कार्यवाही को सम्पादित किया जाएगा।
			1. ₹० 10,000,01/- से ₹० 40,00,00/- (दस लाख एक रुपये से चालीस लाख तक) मूल्य के सिविल वाद एवं आवेदन पत्र एवं उनसे उत्पन्न निष्पादित एवं विधिसिविल प्रकरण। 2. जिला न्यायाधीश/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्रत प्रकार के प्रकरण। 3. द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), सूरजपुर के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन, विधिप्रकरण, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य आवेदन जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) द्वारा द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाता रहा हो। 4. द्वितीय/तृतीय अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के लंबित/निराकृत प्रकरणों अथवा उनसे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही को सम्पादित किया जाएगा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग., विलासपुर से वापस प्राप्त होने वाले प्रकरणों में कार्यवाही को सम्पादित किया जाएगा।
3	द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर/द्वितीय अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुर।	-	(रिक्त न्यायालय)
4	तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) तथा तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुर।	सत्र खण्ड सूरजपुर।	1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु विधि विभाग एवं विधायी विभाग रायपुर की अधिसूचना क्रमांक-एफ.नं.-1086/431/21-बी/सी.जी./21, रायपुर, दिनांक 07.02.2022 के द्वारा अधिसूचित किया गया।
5	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, Fast Track Special Court Surajpur & अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सूरजपुर।	सत्र खण्ड सूरजपुर।	I. For exclusive hearing of Rape cases and cases under POCSO Act)
6	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, प्रतापपुर।	सत्र खण्ड सूरजपुर।	1. सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-438, 439 दंड प्रक्रिया संहिता। 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रतापपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश के खिलाफ दाउनिंडक अपील/पुनरीक्षण। 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, प्रतापपुर के अधिकारिता के पुलिस

			<p>थानों से उद्भूत प्रकरणों में दंप्रसं की धारा 438 एवं 439 के अधीन जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p> <p>4. तहसील-प्रतापपुर के सभी थानों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध (रेप केसेस) एवं बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-28 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की सुनवाई हेतु विधि विभाग एवं विधायी विभाग, रायपुर द्वारा अधिसूचित किया गया।</p> <p>5. प्रतापपुर तहसील अंतर्गत समरत आरक्षी केन्द्र में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989) के साथ पॉक्सो अधिनियम से दंडनीय अपराधों के लिए पॉक्सो अधिनियम के तहत अधिसूचित एवं गठित निर्दिष्ट “विशेष न्यायालय” को दोनों अधिनियम के अधीन अपराधों का रिमाण्ड एवं नियमित विचारण किया जाएगा।</p>
		तहसील प्रतापपुर	<p>1. रु० 10,000.01/- से अधिक मूल्य के सिविल वाद एवं आवेदन पत्र एवं उनसे उत्पन्न निष्पादित एवं विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>2. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, प्रतापपुर द्वारा घोषित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें।</p> <p>3. स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें एवं अन्य प्रकरण।</p> <p>4. नगर पंचायत के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें एवं पुनरीक्षण।</p> <p>5. दिवाला अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>6. प्रतापपुर की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले पुलिस थानों की स्थानीय अधिकारिता के अन्तर्गत उत्पन्न मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण धारा 163 (ए), 166 एवं 140 मोटर यान अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 1994) के अंतर्गत संबंधित दावा प्रकरण।</p> <p>7. धारा 18 एवं 20 हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>8. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>9. संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>10. हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>11. विवाह विच्छेद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p>
7	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सूरजपुर	तहसील सूरजपुर लटोरी बिहारपुर प्रेमनगर	<p>1. रुपये 1 से रुपये 100000/- (रुपये एक से रुपये दस लाख) तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p> <p>2. छ.ग.नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 एवं 142 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें।</p> <p>3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले उत्तराधिकार अधिनियम सहित समरत प्रकरण।</p> <p>4. Specific Relief Act, 1963 (Amendment) Act, 2018 LJS Level के अंतर्गत प्रकरण (प्रतापपुर न्यायालय के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों को छोड़कर) इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे।</p> <p>5. आवंटित क्षेत्राधिकार से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>6. समरत अधिकृत नहीं किये गये व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1/2 के न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर उक्त न्यायाधीशों द्वारा किया जाता रहा हो।</p> <p>7. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सूरजपुर के न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रकरण।</p>
8	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सूरजपुर	-	(रिक्त न्यायालय)
9	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सूरजपुर	तहसील रामानुजनगर, ओड़गी भैयाथान	<p>1. रुपये 1 से रुपये 100000/- (रुपये एक से रुपये दस लाख) तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p> <p>2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले उत्तराधिकार अधिनियम सहित समरत प्रकरण।</p> <p>3. आवंटित क्षेत्राधिकार से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>4. द्वितीय/द्वितीय अतिरिक्त/तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रकरण।</p>
10	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सूरजपुर	-	(रिक्त न्यायालय)
11	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सूरजपुर	-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सिविल प्रकृति के विचारण योग्य अन्य प्रकरण।
12	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश,	-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये

	वर्ग-2, सूरजपुर		सिविल प्रकृति के विचारण योग्य अन्य प्रकरण।
13	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सूरजपुर	-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सिविल प्रकृति के विचारण योग्य अन्य प्रकरण।
14	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सूरजपुर	-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सिविल प्रकृति के विचारण योग्य अन्य प्रकरण।
15	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, सूरजपुर	-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सिविल प्रकृति के विचारण योग्य अन्य प्रकरण।
16	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, प्रतापपुर .	तहसील प्रतापपुर	1. रुपये 01 से रुपये 1000000/- (रुपये एक से रुपये दस लाख) तक मूल्य के व्यवहार वाद तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2. छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 एवं 142 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं अन्य प्रकरण।

टीप :- (सिविल एवं आपराधिक)

- माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक-37/आर.जी./2007 दिनांक 08.02.2007 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में बाह्य न्यायालय, प्रतापपुर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा उपार्पित सत्र प्रकरण, अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होने वाली आपराधिक अपीलों एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं को सत्र न्यायालय, सूरजपुर में पंजीयन हेतु प्रेषित नहीं किया जाकर रथानीय स्तर पर प्रतापपुर में पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में ही पंजीयन एवं विधिवत् निराकरण हेतु प्रेषित किया जाएगा।
- पूर्व में कार्यरत न्यायालय, जो वर्तमान में रिक्त हैं, उनसे संबंधित अपील/पुनरीक्षण/याचिकाओं को न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश में प्रस्तुत किया जायेगा।

(गोविन्द नारायण जांगड़े)  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश

न्यायाधीशगण के अवकाश व अनुपस्थिति की दशा में आवश्यक सिविल मामलों तथा अत्यावश्यक कार्य निम्नानुसार उनके नाम के समुख अंकित न्यायालयों द्वारा किया जाएगा :—

क्र.	न्यायाधीश का पदनाम	अवकाश अथवा अनुपस्थिति अवधि में अधिकृत न्यायाधीश
1	2	3
1.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.) सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर।
2.	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.), सूरजपुर	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर एवं उक्त सभी की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर।
3.	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.) सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर एवं उक्त सभी की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर।
4.	द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर	<b>(रिक्त न्यायालय)</b>
5.	तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर.	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.) सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर एवं उक्त सभी की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर।
6.	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.) सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर, उक्त सभी की अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर।
7.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सूरजपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश सूरजपुर एवं उक्त सभी की अनुपस्थिति में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, प्रतापपुर।
8.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सूरजपुर	उनकी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश सूरजपुर उनकी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में

### **नोट :-**

- अपर जिला न्यायाधीश, बैकुण्ठपुर कैम्प, सूरजपुर के निर्णय एवं आज्ञापि, आदेश/अवार्ड से उत्पन्न निष्पादन, विविध प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियों प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, सूरजपुर के न्यायालय में की जाएगी।
  - अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर की अनुपरिथिति में उक्त न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं तथा जेल वारंट में औपचारिक हस्ताक्षर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, प्रतापपुर से लिये जायेंगे।

कार्य विभाजन आदेश में निर्धारित व्यवस्था अनुसार विशेष न्यायालयों की जमानत याचिकाओं को छोड़कर शेष जमानत याचिकाएं मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठता क्रम में वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होंगी और सुनवाई की व्यवस्था निमानुसार होगी :-

- द्वितीय पश्चातवर्ती जमानत याचिका उन्हीं पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी, जिन्होंने पूर्व जमानत याचिका सुनी है।
  - समान अपराध क्रमांक में सह अभियुक्त की जमानत याचिका भी उन्हीं पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी, जिन्होंने पूर्व में उसी अपराध क्रमांक में जमानत याचिका सुनी है।
  - अग्रिम जमानत की दशा में अभियुक्त की नियमित जमानत याचिका भी उन्हीं पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी, जिन्होंने अग्रिम जमानत याचिका पूर्व में सुनी है।
  - महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराध की जमानत याचिकाएं अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) सूरजपुर द्वारा सुनी जाएगी।
  - POCSO Act से संबंधित अपराध की जमानत याचिकाएं अपर सत्र न्यायाधीश (FTSC) . सूरजपुर द्वारा सुनो जाएगी।

**नोट :-** डिप्पोर्ट याचिकाओं के औपचारिक अंतर्गत की आवश्यकता नहीं होती।

**नोट :-** उपरोक्त याचिकाओं के औपचारिक अंतरण की आवश्यकता नहीं होगी।

*Sd/-*  
(गोविन्द नारायण जांगडे)  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश

क्रमांक क / एक-15-3 / 2013,

सूरजपुर, दिनांक 22 सितम्बर, 2023

**यथा निर्देशित प्रतिलिपि :-**

1. प्रथम/तृतीय/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/(FTC/FTSC), सूरजपुर/प्रतापपुर,
2. अध्यक्ष, जिला न्यायालय कम्प्यूटर कमेटी, सूरजपुर,
3. प्रथम/तृतीय/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सूरजपुर/प्रतापपुर,
4. प्रथम/द्वितीय/प्रथम अति./द्वितीय अति./चतुर्थ अति. व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सूरजपुर,
5. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, सूरजपुर/प्रतापपुर
6. प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रशासनिक अधिकारी,  
कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
सूरजपुर (छ.ग.)